#### Seventeenth Loksabha

an>

Title: Introduction and passing of the Appropriation (No. 2) Bill, 2021 (Bill passed).

माननीय अध्यक्षः आइटम नंबर – 33, माननीय वित्त मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2021-22.

### माननीय अध्यक्षः प्रश्न यह हैः

"कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

# <u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce\*\* the Bill.

माननीय अध्यक्ष: आइटम संख्या-34, माननीय मंत्री जी।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2021-22, be taken into consideration."

## माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:-

"कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

# <u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u> खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए। <u>अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

#### SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

2/3